

**East Central Railway**

No. Com/Derailment/HIL-IPR/Re Auction/22

Date:-26.08.2022.

**PUBLIC AUCTION SALE NOTICE**

All concerned are hereby informed that, the stack Coal (Imported Steam Coal) scattered between HIL-IPR section at KM 32/16 in Danapur division approximately 788 Metric Tonnes to be sold by 'PUBLIC AUCTION' on "AS IS WHERE IS 'Basis which will be conducted by the ACM/DNR / East Central Railway/ Danapur at 11:00 hrs on 30.08.2022 (Tuesday) at Station Supdt. Office/ E.C.Rly./ FUT/ Danapur Division under the provision of Railway act, 1989.

**CONDITIONS OF AUCTION SALE**


1.All intending bidder may inspect the locations and coal as mentioned above by approaching Station Master at Fatuha (FUT) station in Danapur division within 72 hrs, before the auction sale during the working hours. If any intending Bidder is not likely to able to attend the auction sale, he may send his Bid indicating the highest Bid amount that can Bid for the coal in a sealed cover envelope and send to the office of Sr.Divisional Commercial Manager /E.C.Rly / DANAPUR. Any Bid in sealed cover must reach the office of Sr.DCM/E.C.Rly / DANAPUR on 29.08.2022 by 18:00 hrs. Delayed Bid will not be considered. Such Bid should be accompanied by the Bank Draft drawn in favour of the F.A & C.A.O, E.C.Rly Hajipur and Bank Draft should be 50% of the Bid amount or Rs.10,000/- (Ten thousand) whichever is more. Such Bid will be announced to the Bidders attending the auction sale at the time of action and in case the coal as above are sold to the Bidder, who has sent the bid in sealed cover along with Bank Draft, he will be intimated after the Auction Sale. The Bank Draft with other Sealed Bid, if any, for the coal will be returned to the Bidder if the Auction Sale is not awarded to him.

2.Bidder attending the Auction Sale to whom the coal will be sold after becoming higher Bidder will also have to deposit 25% (Twenty five percent ) of his last Bid immediately in the fall of the hammer indicating the acceptance of the Bid. The Balance amount will have to be deposited within 03 (Three) days of the auction sale positively failing which the Earnest Money will be forfeited.GST (at applicable rate ) will also be levied as per rule on purchase price by the bidder.

3.No empty wagon will be supplied to the Highest Bidder for transporting purpose. As per joint report of inspectorial Team, he will be allowed 07 (seven) days time for lifting of Coal from the above said locations after the date (mentioned in para. 02) of depositing of full bid amount and in the event of failure of lifting time, the bid amount will be forfeited.

4.On the date of Auction Sale during 09:00 hrs to 11:00 hrs. Security Deposit of Rs.10,000/- (Ten thousand) will be taken from the intending Bidder and only such persons will be allowed to participate in the Auction Sale process.

5.Railway Administration, however, reserve the right to stop Auction Sale at any time without assigning any reason or not to accept the Highest Bid where the amount offered to be considered is inadequate.

*for.*   
Sr.Divisional Commercial Manager  
East Central Railway, Danapur

Continued.P/2

सं० कॉम/डिरेक्टिव/हिलसा-इस्लामपुर/ री नीलामी/२०२२

दानापुर, दिनांक २६/०८/२०२२

## सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दानापुर मंडल के **हिलसा-इस्लामपुर** स्टेशन में ०३/०८/२०२२ को दुर्घटनाग्रस्त हुए कोयला रैक का कोयला लगभग ७८८ मेट्रिक टन पोल सं० ३२/१६ में पड़ा हुआ है जिसकी बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा "जो जैसा है और जहाँ है" के आधार पर की जायेगी और जिसका संचालन सहायक कोयला क्षेत्र प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, सहायक वाणिज्य प्रबंधक/जी/दानापुर पूर्व मध्य रेल, के द्वारा दिनांक ३०/०८/२०२२ को ११:०० बजे स्टेशन प्रबंधक कार्यालय, पूर्व मध्य रेल, राजगीर/दानापुर मंडल में भारतीय रेल अधिनियम १९८९ के अद्यतन प्रावधान के अन्तर्गत किया जायेगा।

नीलामी की शर्त

1. बोली लगाने के इच्छुक (बिड्डर) बोली लगाने की तिथि के ७२ घंटे पूर्व कार्यकाल के दौरान उपरोक्त क्षेत्र स्टेशन मैनेजर से सम्पर्क करते हुए कोयला की जाँच कर सकते हैं। यदि कोई बोली लगाने वाले को नीलामी में उपस्थित न होने की सम्भावना हो तो वह सामान (कोयला) के लिये जिनकी अधिकतम रकम की बोली वे लगा सकते हैं को दर्शाते हुए अपनी बोली मुहरबन्द लिफाफा में वरीय मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, डी.आर.एम. कार्यालय, पूर्व मध्य रेल दानापुर के पास नीलामी बोली की तिथि के एक दिन पूर्व (२९.०८.२०२२) १८:०० बजे तक भेज सकते हैं देर से प्राप्त मुहरबन्द लिफाफा पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी बोलियों के साथ बोली की रकम का ५०% अथवा रु १०,०००/- (दस हजार) मात्र जो भी अधिक हो, बैंक ड्राफ्ट "वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर" के नाम से जारी करते हुए संलग्न किया जाना चाहिए। ऐसी बोली को उचित समय पर नीलामी में उपस्थित होने वाले बोली लगाने वालों के सामने धोषित किया जायेगा और यदि बोली लगाने को सामान की बिक्री की जायेगी तो इसकी सूचना उन्हें नीलामी बिक्री के बाद दी जायेगी। अगर नीलामी उसे नहीं दिया जाता है तो बैंक ड्राफ्ट अन्य मुहरबन्द बोलियों के साथ यदि कुछ हो तो उसे वापस कर दिया जायेगा।
2. नीलामी की बोली लगाने के लिये उपस्थित बोली लगाने वाले जिन्हें सामानों की बिक्री की जायेगी उन्हें नीलामी के स्वीकृति के रूप में अन्तिम बोली समापन के तत्काल बाद अधिकतम बोली का २५% (पच्चीस) तुरन्त जमा कर देना होगा। शेष बकाया राशि ०३ (तीन) दिनों के अन्दर जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर जमा जब्त कर ली जायेगी। बिड्डर को खरीद मूल्य पर जीएसटी (निर्धारित दर पर देय) भी लगेगा।
3. अधिकतम बोली लगाने वाले को सामान (कोयला) ढोने के लिये कोई भी खाली माल डिब्बा नहीं दिया जायेगा। उसे उपरोक्त क्षेत्र से कोयले को हटाने के लिये निरीक्षक - स्तरीय संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार ०७ (सात) दिनों का (पूरी राशि जमा करने की तिथि को छोड़कर) समय दिया जायेगा यदि अधिकतम बोली लगाने वाला ०७ (सात) दिनों के अन्दर बचे हुए कोयले को नहीं हटा लेता है तो उनकी बिक्री राशि जब्त कर जी जा सकती और बचे हुए कोयले को उपरोक्त क्षेत्र से हटाने के लिये कोई भी अधिक समय की बढोतरी नहीं की जायेगी और इसमें विफलता के लिये ०७ (सात) दिनों के समापन के बाद स्थान शुल्क लिया जायेगा।
4. अमानती जमा रु० १०,०००/- (दस हजार) के रूप में प्रत्येक इच्छुक बोली लगाने वाले के द्वारा नीलामी शुरू होने के पूर्व नीलामी तिथि को ०९:०० बजे से ११:०० तक ही लिया जायेगा और सिर्फ उन्हें ही नीलामी बिक्री में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।
5. रेलवे किसी भी समय बिना कोई कारण बताये नीलामी बिक्री को रोकने अथवा बोली लगाने वाले के द्वारा बोली गई को अप्रत्याप्त समझने की स्थिति में अधिकतम बोली को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कृते

वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक  
पूर्व मध्य रेल, दानापुर